

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 18, गुरुवार, शके 1947- जनवरी 08, 2026 Pausa 18, Thursday, Saka 1947- January 08, 2026	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 14, 2023

संख्या प 10 (न.पा.) (गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/2089 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19-02-2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मालाखेडा (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है:-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या
01	अलवर	मालाखेडा	ग्राम पंचायत मालाखेडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम मालाखेडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या- 11,529 (जनगणना 2011 के अनुसार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालाखेडा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि: 01/06/2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालाखेडा के निर्वाचित सरपंच/ उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।